उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24/1/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उप-स्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 251/22 प्रा० पत्र

अर्जुन s/o पन्ना जाट निवासी-दांता कला तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

गणेश-चौधरी s/o श्री देवालाल चौधरी निवासी-दांता कला तहसील माण्डल [वगैरा]
(मुताबिक प्रा० पत्र संलग्न)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24-01-23

::आदेश::

...ोर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ... ग्राम......दांता कला......पटवार हल्का...दांता कला...तहसील माण्डल में उसके ...त खाते की आराजी नं.1579/744 कुल किता...01...रकबा...0.5059 ...त हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ... संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ... आदेश प्रदान कराये जावें।

...ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक07.12.22...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ... से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ... वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ... की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

...र्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांता कला पटवार ...ला...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं...1579/744...... ...01...रकबा...0.5059...हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ...तु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख ...ण्डल...को...500/-...रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ... की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार ...ढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

...हसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ...ाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा